

सीआरपीएफ में 15 प्रतिशत महिलाओं के प्रतिनिधित्व का लक्ष्य: सैनी

55वें बैच का दीक्षांत समारोह: हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सीआरपीएफ के नव-नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों की पासिंग आउट परेड में की शिरकत

● सीएम बोले, हरियाणा सरकार ने महिलाओं को पुलिस बल में शामिल होने के लिए किया प्रोत्साहित

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने महिलाओं को पुलिस बल में सेवा देने के लिए प्रोत्साहित किया है। वर्तमान में राज्य पुलिस में महिलाओं की संख्या 10 प्रतिशत है। राज्य सरकार का लक्ष्य निकट भविष्य में इस आंकड़े को बढ़ाकर 15 प्रतिशत करना है। मुख्यमंत्री गुरुवार को गुरुग्राम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए, जिसके कारण सशस्त्र बलों में बड़ी संख्या में महिलाओं की भर्ती हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल



गुरुग्राम में सीआरपीएफ के नव-नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों के 55वें बैच के पासिंग आउट परेड में परेड की सलामी लेते व अधिकारी को सम्मानित करते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी।

(सीआरपीएफ) के नव-नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों से निष्पक्षता और निरंतर से अपने कर्तव्यों का पालन करने की साथपथ लेने का आहान किया। उन्होंने उसका कानून और संविधान की रक्षा के लिए हमेशा संबोधन में मुख्यमंत्री को अधिकारियों तपतर होने, सेवेदनशीलता के साथ लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एकत्रित करता रहा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये 39 विवरणों की अधिकारी को अपना सेवा के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने प्रशिक्षण व्यक्त किया कि ये 39 विवरणों की अधिकारी नायब सिंह सैनी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग निश्च के साथ अपने दायित्वों का

रहने का भी आग्रह किया। सीआरपीएफ अकादमी से दो महिला अधिकारियों सहित कुल 39 प्रशिक्षण अधिकारी कठोर प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पास हुए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बल को देख की सुरक्षा में अमूल्य योगदान के लिए सीआरपीएफ की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने बल को देख की सुरक्षा की रीट बताया। उन्होंने सीआरपीएफ की रीट बताया। उन्होंने सीआरपीएफ की आधिकारी नायब सिंह मर्मांग में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

सुरक्षा बलों को मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता भी उपस्थित रहे।

मंजूरी के बगौर ही पंचायतें दे सकेंगी जमीन व मकानों के मालिकाना हक

● विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक को मिलेगा अधिकार

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

हरियाणा में अब शामलत जमीनों पर खेती करने वाले किसानों तथा पंचायती जमीनों पर मकान बनाकर रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए पंचायतें तथा विभाग के निदेशक स्वतंत्रत होंगे। इस संबंध में अब मैट्रिमंडल का दखल खत्म हो जाएगा। शुक्रवार से शुरू होने जा रहे बहत सरकार द्वारा इस संबंध में बिल लाएगी सरकार।

विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार सदन में हरियाणा ग्राम शामलत भूमि (विनियम) संशोधन विधेयक-2025 पेश करेंगे।

हरियाणा में अब शामलत जमीनों पर खेती करने वाले किसानों तथा पंचायती जमीनों पर मकान बनाकर रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए पंचायतें तथा विभाग के निदेशक स्वतंत्रत होंगे। इस संबंध में अब मैट्रिमंडल का दखल खत्म हो जाएगा। शुक्रवार से शुरू होने जा रहे बहत सरकार द्वारा इस संबंध में बिल लाएगा जाएगा।

विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार सदन में हरियाणा ग्राम शामलत भूमि (विनियम) संशोधन विधेयक-2025 पेश करेंगे।

हरियाणा में औद्योगिक फर्मों को सात दिन में मिलेगी नाम बदलने की स्वीकृति

● उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की 42 सेवाओं की समय सीमा निर्धारित

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

हरियाणा में औद्योगिक फर्मों को अब सात दिन में नाम बदलने की संजूरी भी मिल जाएगी। फर्म के विभाग के अनुमोदन करना होगा।

भारतीय भागीदारी अधिनियम के तहत फर्म तथा सोसायटी की जिला रजिस्टर को सात दिन में फर्म के पंजीकरण की अनुमति देनी होगी, जिसके बाद विभाग के निदेशक ने देने के लिए एवं चंद्रिकारण के तहत सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का काम 15 दिन में कर दिया जाएगा, जबकि सोसायटी के निदेशक ने देने के लिए एवं चंद्रिकारण के तहत सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का काम 15 दिन में कर दिया जाएगा, जबकि सोसायटी के नाम के अनुमोदन में तीन दिन लागें।

काम के अनुमोदन करते हुए एवं चंद्रिकारण के तहत सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का काम 15 दिन में कर दिया जाएगा, जबकि सोसायटी के नाम के अनुमोदन में तीन दिन लागें।

काम के अनुमोदन करते हुए एवं चंद्रिकारण के तहत सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का काम 15 दिन में कर दिया जाएगा, जबकि सोसायटी के नाम के अनुमोदन में तीन दिन लागें।

काम के अनुमोदन करते हुए एवं चंद्रिकारण के तहत सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का काम 15 दिन में कर दिया जाएगा, जबकि सोसायटी के नाम के अनुमोदन में तीन दिन लागें।

काम के अनुमोदन करते हुए एवं चंद्रिकारण के तहत सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का काम 15 दिन में कर दिया जाएगा, जबकि सोसायटी के नाम के अनुमोदन में तीन दिन लागें।

काम के अनुमोदन करते हुए एवं चंद्रिकारण के तहत सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का काम 15 दिन में कर दिया जाएगा, जबकि सोसायटी के नाम के अनुमोदन में तीन दिन लागें।

काम के अनुमोदन करते हुए एवं चंद्रिकारण के तहत सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का काम 15 दिन में कर दिया जाएगा, जबकि सोसायटी के नाम के अनुमोदन में तीन दिन लागें।

काम के अनुमोदन करते हुए एवं चंद्रिकारण के तहत सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का काम 15 दिन में कर दिया जाएगा, जबकि सोसायटी के नाम के अनुमोदन में तीन दिन लागें।

काम के अनुमोदन करते हुए एवं चंद्रिकारण के तहत सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का काम 15 दिन में कर दिया जाएगा, जबकि सोसायटी के नाम के अनुमोदन में तीन दिन लागें।

काम के अनुमोदन करते हुए एवं चंद्रिकारण के तहत सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का काम 15 दिन में कर दिया जाएगा, जबकि सोसायटी के नाम के अनुमोदन में तीन दिन लागें।

काम के अनुमोदन करते हुए एवं चंद्रिकारण के तहत सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का काम 15 दिन में कर दिया जाएगा, जबकि सोसायटी के नाम के अनुमोदन में तीन दिन लागें।

काम के अनुमोदन करते हुए एवं चंद्रिकारण के तहत सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का काम 15 दिन में कर दिया जाएगा, जबकि सोसायटी के नाम के अनुमोदन में तीन दिन लागें।

काम के अनुमोदन करते हुए एवं चंद्रिकारण के तहत सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का काम 15 दिन में कर दिया जाएगा, जबकि सोसायटी के नाम के अनुमोदन में तीन दिन लागें।

काम के अनुमोदन करते हुए एवं चंद्रिकारण के तहत सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का काम 15 दिन में कर दिया जाएगा, जबकि सोसायटी के नाम के अनुमोदन में तीन दिन लागें।

काम के अनुमोदन करते हुए एवं चंद्रिकारण के तहत सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का काम 15 दिन में कर दिया जाएगा, जबकि सोसायटी के नाम के अनुमोदन में तीन दिन लागें।

काम के अनुमोदन करते हुए एवं चंद्रिकारण के तहत सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का काम 15 दिन में कर दिया जाएगा, जबकि सोसायटी के नाम के अनुमोदन में तीन दिन लागें।

काम के अनुमोदन करते हुए एवं चंद्रिकारण के तहत सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का काम 15 दिन में कर दिया जाएगा, जबकि सोसायटी के नाम के अनुमोदन में तीन दिन लागें।

काम के अनुमोदन करते हुए एवं चंद्रिकारण के तहत सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का काम 15 दिन में कर दिया जाएगा, जबकि सोसायटी के नाम के अनुमोदन में तीन दिन लागें।

काम के अनुमोदन करते हुए एवं चंद्रिकारण के तहत सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का काम 15 दिन में कर दिया जाएगा, जबकि सोसायटी के नाम के अनुमोदन में तीन दिन लागें।

काम के अनुमोदन करते हुए एवं चंद्रिकारण के तहत सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का काम 15 दिन में कर दिया जाएगा, जबकि सोसायटी के नाम के अनुमोदन में तीन दिन लागें।

काम के अनुमोदन करते हुए एवं चंद्रिकारण के तहत सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का काम 15 दिन में कर दिया जाएगा, जबकि सोसायटी के नाम के अनुमोदन में तीन दिन लागें।

काम के अनुमोदन करते हुए एवं चंद्रिकारण के तहत सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का काम 15 दिन में कर दिया जाएगा, जबकि सोसायटी के नाम के अनुमोदन में तीन दिन लागें।

काम के अनुमोदन करते हुए एवं चंद्रिकारण के तहत सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण क

